फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

उम्मेदराम बनाम रतनाराम वगैरह

किस्म मुकदमा ......225 .आर.टी.एक्ट. राजस्व अपील संख्या.33...सन 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
13.06.2023	न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली मे पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के फलस्वरूप उक्त अपील आज दिनांक को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश हुई। यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2023 बउनवान रतनाराम वगैरह बनाम उम्मेदराम वगैरह मे पारित आदेश दिनांक 02.06.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश के कारण अपीलांट अपनी खातेदारी	Noted Gemmith

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आराजी का उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। जिससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। अत जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की प्रकरण मे एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील अंतरिम व्यादेश दिनांक 02.06.2023 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी से संबधित मूल अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आदिनांक तक विचाराधीन है एवं उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत आगामी पेशी दिनांक 06.07.23 नियत है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 01 व 02 उपस्थित होने का अंकन किया गया है किन्तु जैर अपील आदेश के अन्तर्गत प्रतिवादी की बहस के बिन्दु अंकित नहीं किये गये है। जिससे अपीलांट की इस बात को बल मिलता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हो सका। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार हे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुने बिना जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अत सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2023 बउनवान रतनाराम वगैरह बनाम उम्मेदराम वगैरह मे पारित आदेश दिनांक 02.06.2023 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष उठाये गये समस्त अन्य उज्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र क अन्तर्गत उठाने हेतु स्वतंत्र है। तद्नुसार सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 16/2023 बउनवान रतनाराम वगैरह बनाम उम्मेदराम वगैरह मे पारित आदेश दिनांक 02.06.2023 के अन्तर्गत उभयपक्षों को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए 02 माह के भीतर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली